

## कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर (छ0ग0)

क्रमांक/1356/पंचा./जि.प./2017

सूरजपुर, दिनांक 25/03/2017

### निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक/178/अमुस/पंग्राविवि/2016 नया रायपुर दिनांक 18.05.2016 के निर्देशानुसार हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत चयनीत पंचायत प्रतिनिधियों एवं नगर पंचायत के प्रतिनिधियों को निर्धारित तिथियों में अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2017 के मध्य जिला मुख्यालय एवं खण्ड मुख्यालयों के नियत ग्रामों से नया रायपुर भ्रमण कराने हेतु 03 नग, अधिकतम 50 सीटर स्लीपर बसों को अनुबंधित किये जाने हेतु इच्छुक बस मालिकों से प्रति व्यक्ति प्रति कि.मी. दर दिनांक 25/03/2017 17 अपरान्ह 1:00 बजे तक निविदा बंद लिफाफा में आमंत्रित किया जाता है। निविदा की अन्य शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला सूरजपुर की वेबसाइट [www.surajpur.gov.in](http://www.surajpur.gov.in) पर देखी जा सकती है।

पृ.क्र/1357/पंचा./जि.पं./2017/  
प्रतिलिपि :-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत सूरजपुर(छ0ग0)  
सूरजपुर, दिनांक 25/03/2017.


- 1 अपर मुख्य सचिव छ0ग0 शासन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2 कलेक्टर, जिला सूरजपुर (छ0ग0) को सादर सूचनार्थ।
- 3 डी0आई0ओ0 एन0आई0सी0 जिला सूरजपुर को वेबसाइट मे अपलोड करने हेतु।
- 4 जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला सूरजपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाश हेतु।
- 5 जिला परिवहन अधिकारी, सूरजपुर को सूचनार्थ।
- 6 जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला पंचायत सूरजपुर के सूचना पटल में चस्पा हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत सूरजपुर(छ0ग0)

veepala

**निविदा की शर्तें निम्नानुसार है :-**

1. बस पूर्णतः अच्छी कंडीशन की होनी चाहिए, जिसमें 50 यात्रियों को बैठने व सुविधाजनक स्थिति में यात्रा करने की क्षमता होनी चाहिए। बस वर्ष 2015 मॉडल के पूर्व की नहीं होनी चाहिए।
2. निविदा प्रस्तुत करते समय वाहन का रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति भी प्रस्तुत करना होगा।
3. पंचायत/नगर पंचायत/सहकारी समिति के प्रतिनिधियों को जिला मुख्यालय एवं खण्ड मुख्यालय के नियत स्थानों से नया रायपुर तक एवं नया रायपुर के आसपास प्रमुख निर्धारित स्थलों का भ्रमण कराना होगा। यह यात्रा मुख्यालय से रायपुर एवं रायपुर से मुख्यालय तक अधिकतम चार दिवसों की होगी।
4. परिवहन विभाग से संबंधित सभी दस्तावेज अद्यतन स्थिति में होनी चाहिए तथा वाहन मालिक को कुशल बस चालकों की सेवार्यें उपलब्ध करानी होगी।
5. यात्रा के दौरान बस में प्रयुक्त होने वाले इंधन एवं अन्य सामग्री वाहन मालिक के द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी। दुर्घटना एवं अन्य आकस्मिक घटना के लिये वाहन मालिक उत्तरदायी होंगे।
6. बस मालिक को प्रति किलोमीटर की दर दर्शाना होगा तथा रात्रि विश्राम की स्थिति में रात्रि विश्राम की दर पृथक से दर्शाना होगा।
7. इच्छुक बस मालिक दिनांक 05/04/20... तक सीलबंद लिफाफा में निविदा अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। दिनांक 05/04/20... को अपरान्ह 3 बजे तक निविदा खोली जावेगी, जिसमें निविदा प्रस्तुतकर्ता भी उपस्थित रह सकेंगे।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत सूरजपुर(छ0ग0)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत सूरजपुर, (छ0ग0)

विषय :- हमर छ0ग0 योजना के तहत बस उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ: - प्रति व्यक्ति/प्रति कि.मी. बस दर निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रण सूचना पत्र क्रमांक...1.3.5.6  
दिनांक ...2.5.03/12

—000—

विषयांतर्गत "हमर छत्तीसगढ़ योजना" के तहत निविदा में दी गई शर्तों के अध्यक्षीन कॉलम नं. 7 में उल्लेखित दर पर वांछित संख्या में बस उपलब्ध कराने हेतु सहमत हूँ।

| क्र | बस संचालक का नाम | बस का नाम | बस क्रमांक | बसों की संख्या | दर प्रति व्यक्ति / प्रति कि.मी |
|-----|------------------|-----------|------------|----------------|--------------------------------|
| 1   | 2                | 3         | 4          | 6              | 7                              |
| 1   |                  |           |            |                |                                |
| 2   |                  |           |            |                |                                |
| 3   |                  |           |            |                |                                |

हस्ताक्षर  
बस संचालक